

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

ई-मेल/विभागी
य वेबसाइट/
साधारण डाक से

पत्रांक- BRRDA(HQ)-PMGSY-1667/2019- 6133
प्रेषक,

/पटना, दिनांक-17/12/2019

संजय दूबे, भा.प्र.से.0
अपर सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- II अन्तर्गत Kishanganj जिला के Pothia प्रखंड में T01-Belwa (Borobari middle school) to Ramganj (Package No- BR18P2R-18) पथ (लम्बाई-34.80 कि०मी०) के उन्नयन / चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / निर्माण तथा पाँच वर्षीय अनुरक्षण सहित प्राक्कलित राशि **रु० 2790.85 लाख** (सत्ताईस करोड़ नब्बे लाख पचासी हजार रुपये) मात्र है, पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- II के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-P-17024/4/(3)/2018-RC दिनांक-11.11.2019 के द्वारा कुल 347 पथों जिनकी लम्बाई 2465.38 कि०मी० तथा प्राक्कलित राशि रु० 1381.77 करोड़ एवं 06 पुलों जिनकी लम्बाई 266.54 मी० तथा प्राक्कलित राशि रु० 14.06 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार कुल स्वीकृत राशि रु० 1395.83 करोड़ जिसमें राज्यांश की राशि रु० 558.36 करोड़ है। उक्त स्वीकृति में से 15-30 करोड़ के लिए Kishanganj जिला के Pothia प्रखंड में T01-Belwa (Borobari middle school) to Ramganj (Package No- BR18P2R-18) पथ (लम्बाई-34.80 कि०मी०) के उन्नयन / चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / निर्माण तथा पाँच वर्षीय अनुरक्षण सहित प्राक्कलित राशि **रु० 2790.85 लाख** (सत्ताईस करोड़ नब्बे लाख पचासी हजार रुपये) मात्र है, पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

2. विवरणी निम्नवत है :-

Sl. No.	District	Block	Package Number	Road Name	Pavement Length (in Kms.)	Modd Share Cost (in Lakhs)	Total State Share (in Lakhs)	Total Construction Cost (in Lakhs)	Maintenance Cost (in Lakhs)	Total Cost (in Lakhs)	Cost per km (in Lakhs/km)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RRP-II AFG & CR											
1	Kishanganj	Pothia	BR18P2R-18	T01-Belwa (Borobari middle school) to Ramganj	34.8	1563.91	1042.6	2666.51	184.34	2790.85	80.197

इस प्रकार उपर्युक्त योजना के लिए कुल राशि रु० 2790.85 लाख में से राज्यांश की राशि रु० 1042.60 लाख है, एवं भारत सरकार की राशि रु० 1563.91 लाख है। राज्यांश की राशि विभाग के योजना शीर्ष 4515 के अन्तर्गत प्राप्त की गयी राशि से भारित होगी।

रु० 184.34 लाख की राशि अनुरक्षण की होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी।

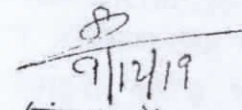
3. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-॥ के मार्गदर्शिका के अनुसार e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।
4. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-॥ के दिशा-निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मूल स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी विभाग के योजना बजट शीर्ष-4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन में प्रस्तावित व्यय की राशि की व्यवस्था केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली राशि तथा इसके समानुपातिक राज्यांश की राशि से तदनुसार बजटीय उपबन्ध के अनुसार विमुक्त की जायेगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यांश की राशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य बजट से भारित की जायेगी, जबकि अनुरक्षण के लिए निर्दिष्ट राशि निर्धारित 05 वर्ष की अवधि में वर्षवार शीर्ष 3054 के तहत प्रावधानित बजटीय उपबन्ध से भारित की जायेगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।
7. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
10. इस योजना के लिए स्वीकृति प्राधिकार विभागीय मंत्री का अनुमोदन ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-1667/2019 के पृ0-06/टि0 पर दिनांक-23.11.2019 एवं वित्त मंत्री, बिहार का अनुमोदन पृ0-12/टि0 पर दिनांक-05.12.2019 को प्राप्त है तथा समीक्षा प्राधिकार स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन संचिका सं-BRRDA(HQ)-PMGSY-1667/2019 के पृ0-103-104/प0 पर दिनांक-18.11.2019 को प्राप्त है।

6

8

11. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301वि (2), दिनांक-31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2), दिनांक-15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-53/2007-3758 वि०, दिनांक-31.05.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियमावली, खण्ड-1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या-मु०अ०-4-PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक-22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-1667/2019 पृ०-13/टि० पर दिनांक-09.12.2019 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(संजय दूबे)

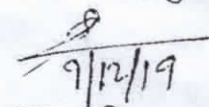
अपर सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-1667/2019 - 6133

/पटना, दिनांक-17/12/2019

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।





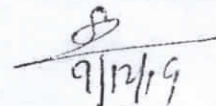
अपर सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-1667/2019 - 6133

/पटना, दिनांक-17/12/2019

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/ संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा० का० वि०/अभियंता प्रमुख के सचिव (ग्रा०), ग्रा० का० वि०/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।





अपर सचिव